न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 95/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/243)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरबचन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 06.06.2024

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 05.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 78/61 के मुरब्बा नम्बर 62, 68 की कुल 3.238 हैक्टेयर बारानी भूमि में से बलदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम 0.075 हैक्टेयर बारानी भूमि दर्ज थी। बलदेव सिंह के द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि में से 0.016 हैक्टेयर भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.06.2012 को वादी को बेचान कर दी। जिसका नामान्तरण संख्या 809 जमाबन्दी के खाना संख्या 11, 12 में दर्ज हो गया है। आगामी जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 में वादी के नाम रकवा दर्ज नहीं हुआ। जिस पर वादी द्वारा शुद्विपत्र का आवेदन करने पर जमाबन्दी में वादी व बलदेव सिंह का शेष रकवा पुनः दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114 में वादी का नाम फिर से गायब हो गया। वादी द्वारा बलदेव सिंह से 0.016 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की गयी है। जिसका नामान्तरण पूर्व की जमाबन्दियों में दर्ज है। लेकिन सहवन से वर्तमान जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज नहीं हो पाया है। इस कारण वादी वर्तमान जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 में वादी का नाम दर्ज करते हुए वादी के नाम 0.016 हैक्टेयर भूमि दर्ज करने के आदेश दिये जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2539 दिनांक 30.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 13 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 78/61 के मुरब्बा नम्बर 62, 68 की कुल 3.238 हैक्टेयर बारानी भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त खाते में खातेदार बलदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम 0.075 हैक्टेयर रकबा दर्ज है। वादी द्वारा उपलब्ध करवाये गए दानपत्र क्रमांक 2012001345 दिनांक 12.06.2012 के द्वारा दानकर्ता बलदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह द्वारा 0.0157 हैक्टेयर बारानी भूमि का दान अपने भाई गुरबचन सिंह पुत्र हाकम सिंह के हक में किया गया था। उक्त दानपत्र के आधार पर चक 13 ओ के नामान्तरण संख्या 809 दिनांक 06.08.2012 दर्ज हुआ। जिसमें गुरबचन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 19 ओ के हक में 0.016 हैक्टेयर रकबा शेष खाता बदस्तूर रखते हुए दर्ज किया गया, लेकिन इसके पश्चात् की जमाबन्दी में सम्वत 2072 ता 2075 में उक्त नामान्तरण अनुसार बलदेव सिंह के नाम रकबा नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा शुद्वि संख्या 03 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, इसके उपरान्त भी वर्तमान जमाबन्दी चक 13 ओ के उक्त खाते से संबधित जमावंदी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 78/61, जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 108/78 एंव जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 में खातेदार करनैल सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम 1.035 हैक्टेयर रकबा दर्ज था, जो आगे की जमाबन्दी 2072 ता 2075 खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

108/78 में यथावत 1.035 हैक्टेयर दर्ज है। लेकिन इसके तत्काल बाद अर्थात वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 में उक्त खातेदार करनैल सिंह पुत्र प्रताप सिंह के नाम 1.063 हैक्टेयर रकबा दर्ज है। अर्थात पूर्व की जमाबन्दी में दर्ज की तुलना में 0.028 हैक्टेयर रकबा अधिक दर्ज किया हुआ है। जबकि उक्त खातेदार करनैल सिंह के पक्ष में कोई विधिक इन्द्राज यथा नामान्तरण, शुद्धि आदि रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः यह सिद्व होता है, कि खातेदार को उक्त 0.028 हैक्टेयर अधिक रकबा किस आधार पर दिया गया है। इस प्रकार वादी बलदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज 0.016 हैक्टेयर रकबा वर्तमान में खातेदार करनैल सिंह पुत्र प्रताप सिंह के हिस्से में सहवन से सेग्रीगेशन के साथ जुड गया प्रतीत होता है। जिससे वादी का 0.016 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी से गायब है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी वर्तमान में अपने उक्त 0.016 हैक्टेयर रकबे पर मौके पर काबिज है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 108/78 की प्रति, राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता संख्या 78/61 की प्रति, नामान्तरण संख्या 809 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 में वादी का नाम दर्ज करते हुए वादी के नाम 0.016 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादी बलदेव सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज 0.016 हैक्टेयर रकबा वर्तमान में खातेदार करनैल सिंह पुत्र प्रताप सिंह के हिस्से में सहवन से सेग्रीगेशन के साथ जुड गया प्रतीत होता है। जिससे वादी का 0.016 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी से गायब है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी वर्तमान में अपने उक्त 0.016 हैक्टेयर रकबे पर मौके पर काबिज है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 में वादी का नाम दर्ज करते हुए वादी के नाम 0.016 हैक्टेयर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलाससुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरबचन सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 95/2024

निर्णय दिनांक :- 05.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 114/108 में वादी का नाम दर्ज करते हुए वादी के नाम 0.016 हैक्टेयर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 05.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/447
दिनांकः 05.08.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)